पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

परिवहन निगम की बसों से दीपावली के अवसर पर 06 दिनों में 01 करोड़ से अधिक लोगों ने की यात्रा

छठ पर्व पर अतिरिक्त बसों के संचालन के दिए निर्देश

पर्व अवधि में प्रदेश के लोगों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित किया जायेगा

चालकों/परिचालकों को अतिरिक्त संचालन पर 400 रुपये प्रति दिवस की दर से मिलेगी प्रोत्साहन राशि

—दयाशंकर सिंह

लखनऊ : 12 नवम्बर, 2026

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि दीपावली के अवसर पर उ0प्र0 परिवहन निगम ने 01 करोड़ से अधिक लोगों को सुगम एवं सुरक्षित यात्रा मुहैया कराई है। उन्होंने बताया कि 06 नवम्बर को 18.06 लाख से अधिक, 07 नवम्बर को 16.72 लाख से अधिक, 08 नवम्बर को 17.36 लाख से अधिक, 09 नवम्बर को 14.12 लाख से अधिक, 10 नवम्बर को 16.42 लाख से अधिक एवं 11 नवम्बर को 19. 45 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की।

परिवहन मंत्री ने छठ पर्व पर प्रदेश के लोगों को उनके गन्तव्य तक सुरक्षित एवं सुगम्य यात्रा के लिए अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर, 2026 से 17 नवम्बर, 2026 तक अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाए। पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर छठ पर्व का आयोजन होता है। इस पर्व पर महानगरों में रहने वाले पूर्वांचल के बहुत से लोग अपने गन्तव्य को जाते हैं। इसके दृ ष्टिगत सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को आवागमन के लिए अधिक संख्या में बसें चलायी जाएं। लखनऊ व कानपुर नगरों के लिए भी इस अवधि में अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों

से यदि गाजियाबाद व दिल्ली एवं पश्चिमी क्षेत्रों के लिए प्रारम्भिक प्वाइंट से 60 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर मिलने पर पूर्वी क्षेत्र से भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएं।

परिवहन मंत्री ने निगम बसों को शतप्रतिशत ऑनरोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि बसों की असेम्बलीज व स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी परिवहन निगम के अधिकारी सुनिश्चित करा लें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में अनफिट बसों का संचालन न किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिविशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों/कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर पद्धति से लगाने के निर्देश दिए। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों एवं बसों में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो। स्टेशनों पर पीने के पानी एवं बैठने, डिजिटल समय सारिणी एवं सहायता केन्द्र की भी व्यवस्था की जाए।

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि अनुबन्धित बसों को अवकाश स्वीकृत न किया जाए। वाहन स्वामियों को सूचित कर दिया जाए कि अनुबन्ध पर लगी बसों का मरम्मत कराकर संचालन के लिए बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रवर्तन दल क्षेत्रों में निकल कर जांच करें। सभी चालकों और परिचालकों का ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट किया जाए, जिससे कि सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि चालकों/परिचालकों एवं कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे चालक/परिचालक जिसमें संविदा तथा आउटसोर्सिंग के चालक/परिचालक भी शामिल हैं, दैनिक रूप से निर्धारित औसत किमी0 का संचालन करते हैं तो 400 रूपये प्रतिदिन की दर से एकमुश्त विशेष प्रोत्साहन का भुगतान किया जायेगा।

सम्पर्क सूत्र– आशीष सिंह

राघवेन्द्र/05:00 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in